न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 45/2020
प्रविष्टि दिनांक 20.07.2020

1–रामा पत्नि चौथमल जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
2–सूरजमल पुत्र चौथमल जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक
3–हजारी लाल पुत्र रामनिवास जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक
4–अम्बालाल पुत्र रामनिवास जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक
5–धर्मपाल पुत्र रामनिवास जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक
6–रामकेश पुत्र श्योजी जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक
7–छोटू पुत्र श्योजी जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोक
8–रामफूल पुत्र गंगाराम ऊर्फ गंगल्या जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई
9–भागुती पत्नि हरिराम जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–बिलास पुत्र जंसी जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
2–रेवड पुत्र जंसी जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
3–रामू पुत्र जंसी जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
4–फैली पुत्र गंगाबिशन जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
5–कमलेश पुत्र श्योजी जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
6–भरतलाल पुत्र श्योजी जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
7–तीजा पुत्री श्योजी जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
8–द्वारिका पुत्री श्योजी जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
9–मनभर पत्नि श्योजी जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
10–रंगलाल पुत्र सत्यनारायण जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक
11–धोलूराम पुत्र सत्यनारायण जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक
12–राजा देवी पत्नि सत्यनारायण जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक
13–छोटू पुत्र चीमा जाति मीणा निवासी सीदडा तहसील निवाई जिला टोंक
14–तहसीलदार निवाई जिला टोंक राज0
15–उपपंजीयक निवाई जिला टोंक राज0

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 25.05.2011 वाके ग्राम श्योसिंहपुरा तहसीलदार निवाई

उपस्थिति –(1) श्री श्याम सुन्दर शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट्स
(2) श्री हेमराज पूनिया,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता. 13

निर्णय दिनांक **24.09.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 25.05.2011 को मृतक खातेदार श्योरामा पुत्र चन्दा हिस्सा 1/3 की विरासत का नामान्तरकरण सं0 829 दिनांक 25.05.2011 वाके ग्राम श्योसिंहपुरा बिलास,रेवड,रामू पि. जंसी हिस्सा 1/9,फैली पुत्र गंगाबिशन हिस्सा 1/9,श्योजी,सत्यनारायण,छोटू पि.चीमा

जिला कलेक्टर
टोंक

हिस्सा 1/9 के नाम स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट्स ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति मंगवाई गई। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि. एक्ट पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभिभाषकगण की प्रकरण मे अन्तिम बहस सुनी गई।

अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की संयुक्त आराजी खसरा नम्बर 401/3 रकबा 8 बीघा,खसरा नम्बर 401/4 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा,खसरा नम्बर 402/2 रकबा 16 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम श्योसिंहपुरा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस कृषि आराजीयात पर अलाटमेन्ट से पहले से ही अपीलान्ट्स अपने बाप दादाओ के जमाने से शांतिपूर्वक निरन्तर कब्जा काश्त कर रहे है एवं अपीलार्थीगण का व उनके परिवारजनो का आपसी सहमति से कदीम से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है एवं खेत मेर बने हुये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 14 के अधीनस्थ कर्मचारियों ने प्रक्रियानुसार मौके पर कब्जे की जांच नही करके मनमाने रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता. 13 से दुर्भिसन्धि करते हुये गलत व विधि विरूद्ध नामांतकरण खोला गया है। मौका स्थिति की प्रकियानुसार जांच नही की गई है। तहसीलदार निवाई द्वारा उक्त नामांतकरण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को कोई नोटिस नही दिया और न ही सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया और बिना अपीलान्टस को साक्ष्य, सुनवाई दस्तावेजी सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही उक्त नामांन्तकरण आदेश पारित किया गया है,जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है।उक्त नामांतकरण हिन्दू उत्तराधिकारी प्रावधान के विपरीत जाकर स्वीकार किया गया है उक्त अधिनियम के अनुसार ला–औलाद मृतक के सभी भाईयों व उनके वारिसान के नाम नामांतकरण भरा जाता है,परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता. 13 ने मिलीभगत करते हुये उक्त नामांतकरण तहसीलदार से भरवा लिया है। नामांतकरण भरते समय किसी प्रकार का कोई विवाद नही बताया गया है,फिर भी उक्त नामांतकरण ग्राम पंचायत में तस्दीक नही करवाकर मिलीभगत करते हुये चुपके चुपके से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 14 से तस्दीक करवाया गया है,जबकि राजस्व मण्डल राज.अजमेर मे वाद जेरकार था।उक्त कृषि आराजीयात बाबत मृतक श्योराम ने एक वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर टोंक के समक्ष प्रस्तुत किया था,जिसका उनवान श्योराम बनाम रामनिवास,मुकदमा संख्या 11/72 था जो अपीलार्थीगण हजारीलाल, अम्बालाल, धर्मपाल पि. रामनिवास एवं प्रतिवादी संख्या 2 गंगल्या उर्फ गंगाराम जिसका कि पुत्र अपीलार्थी रामफूल है के विरूद्ध दायर किया था। मृतक श्योराम ने न्यायालय सहायक कलेक्टर टोंक के समक्ष दिनांक 10.02.1969 को राजीनामा पेश कर दिया था एवं उक्त वाद मे उक्त राजीनामे को न्यायालय द्वारा तस्दीक फरमा दिया गया था,जिसका उल्लेख न्यायालय सहायक कलेक्टर टोंक कि आदेशिका दिनांक 21.2.1969 मे है।राजीनामे में स्वयं मृतक श्योरामा ने स्वीकार किया है कि उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बरान पर वादी पक्ष का कब्जा नही है ना होकर अपीलार्थीगण के पिता रामनिवास व गंगल्या उर्फ गंगाराम पुत्र मांग्या का 10 बीघा रकबे पर कब्जा होना स्वीकार किया था। रेस्पोडेन्ट्स 1 ता. 13 मृतक श्योरामा के ब्लड रिलेशन में भी नहीं है। उक्त जमीन की जमाबंदी निकलवाने पर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता. 13 के नाम होने पर नामान्तकरण की

जिला कलेक्टर
टोंक

सत्य–प्रतिलिपि प्राप्त कर अधिवक्ता से मिलकर उक्त अपील अन्दर मियाद पेश की है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि. एक्ट मय शपथ पत्र पेश किया है। अपील में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्याय संगत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर उक्त नामान्तकरण को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता. 13 ने जवाबी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 25.05.2011 को मृतक खातेदार श्योरामा पुत्र चन्दा हिस्सा 1/3 की विरासत का नामान्तरकरण सं0 829 दिनांक 25.05.2011 वाके ग्राम श्योसिंहपुरा बिलास,रेवड,रामू पि. जंसी हिस्सा 1/9,फैली पुत्र गंगाबिशन हिस्सा 1/9,श्योजी,सत्यनारायण,छोटू पि.चीमा हिस्सा 1/9 के नाम नियमानुसार स्वीकार किया गया है। न्यायालय सहायक कलेक्टर टोंक मे भूमि बाबत विवाद था,परन्तु न्यायालय ने आधी भूमि वादी व आधी भूमि प्रतिवादी मानी की है। सहायक कलेक्टर टोंक के समक्ष वाद सम्पूर्ण गांव का था,परन्तु यह प्रकरण/अपील व्यक्ति विशेष से व्यक्ति विशेष के बीच हैं।नामान्तकरण दिनांक 21.05.2011 को तस्दीक किया गया, जिसकी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष वर्ष 2020 में प्रस्तुत की है। अपीलार्थीगण ने स्वंयं को मृतक के वारिसान होना बताया हैं,परन्तु इस बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। **श्योराम कुंवारा था ऐसा वादी के द्वारा लिखा गया एवं बहस के दौरान भी दावा किया गया है।** न्यायालय सहायक कलेक्टर में विचाराधीन प्रकरण में 30 परिवारों की सम्पत्ति थी जिसमें राजीनामा हुआ था। नामांतकरण भरते समय किसी प्रकार का कोई विवाद नही होना नामान्तकरण की परत पर अंकित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 25.05.2011 को मृतक खातेदार श्योरामा पुत्र चन्दा हिस्सा 1/3 की विरासत का नामान्तरकरण सं0 829 दिनांक 25.05.2011 वाके ग्राम श्योसिंहपुरा बिलास,रेवड,रामू पि. जंसी हिस्सा 1/9,फैली पुत्र गंगाबिशन हिस्सा 1/9,श्योजी,सत्यनारायण,छोटू पि.चीमा हिस्सा 1/9 के नाम स्वीकार किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अपीलांट्स की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की संयुक्त आराजी खसरा नम्बर 401/3 रकबा 8 बीघा,खसरा नम्बर 401/4 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा,खसरा नम्बर 402/2 रकबा 16 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 30 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम श्योसिंहपुरा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अपीलांट्स का व उनके परिवारजनो का आपसी सहमति से कदीम से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। तहसीलदार निवाई द्वारा उक्त नामांतकरण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को कोई नोटिस नही दिया गया और ना ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया,बिना अपीलान्टस को साक्ष्य, सुनवाई दस्तावेजी सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही उक्त नामांन्तकरण आदेश पारित किया गया है,जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे दिनांक 12.09.2024 को दस्तावेजात प्रस्तुत किये। दस्तावेजात के अवलोकन करने से जाहिर होता है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर मे विचाराधीन अपील/डिक्री/टीए/1286/2001/जिला टोंक उनवान चौथ्या बनाम कालू का निर्णय दिनांक 05.02.2013 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। पारित निर्णय मे खसरा नम्बर 402/2 वाके ग्राम श्योसिंहपुरा का उल्लेख है। अपीलाधीन नामान्तकरण मे भी खसरा नम्बर 402/ वाके ग्राम

जिला कलेक्टर
टोंक

श्योसिंहपुरा अंकित है। अपीलांट्स संख्या–4 अम्बालाल पुत्र रामनिवास जाति मीणा ने नामान्तकरण संख्या 829 के सबंध मे (अपीलाधीन) दिनांक 02.05.2011 को ही तहसीलदार निवाई के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 401/3 व 402/3 के सबंध मे वाद वर्षो से न्यायालय मे विचाराधीन है के सबंध मे अवगत कराया गया है।

नामान्तकरण कि परत पर दिनांक 20.09.2010 को पटवारी हल्का सीदडा द्वारा खातेदार शोरामा करीब 25 वर्ष पूर्व कुंवारा फोत हो चुका है। अतः उसके परिवार के वारीसान के हक मे नामान्तकरण भर कर पेश है कि रिपोर्ट अंकित कि है। पटवारी रिपोर्ट के बाद भू–अभिलेख निरीक्षक निवाई ने अपनी जांच मे'' मौका जांच की गई ग्रामवासियो द्वारा बताया कि पटवारी हल्का द्वारा बनाया गया सजरा सही नही है। सही वारिसान के लिये प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम के तहत नियम 135(2) मे प्रकरण दर्ज कर सुनवाई करने योग्य है। पटवारी हल्का सीदडा द्वारा पुनः दिनांक 25.02.2011 को जांच की गई जिसमे नामान्तकरण मे वारिसान से सबंधित कोई विवाद नही है। किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रार्थना पत्र प्राप्त नही हुआ है अंकित किया है। पटवारी के बाद पुनः अभिलेख निरीक्षक वृत निवाई ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 25.02.2011 मे जांच की गई उक्त प्रकरण मे आदिनांक कोई विवाद संबधी या आपत्ति का प्रार्थना पत्र प्राप्त नही है। मुताबिक सजरा अकंन सही है। पटवारी हल्का सीदडा व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत निवाई कि रिपोर्ट मे विरोधाभास है। पटवारी हल्का व भू–निरीक्षक वृत ने किस आदेश से नामान्तकरण कि परत पर अपनी पुनःजांच रिपोर्ट अंकित की स्पष्ट नही है। अपीलांट संख्या–4 ने दिनांक 02.05.2011 को ही तहसीलदार निवाई के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के सबंध मे वाद वर्षो से न्यायालय मे विचाराधीन है के सबंध मे अवगत कराने के उपरान्त तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 25.05.2011 को उक्त नामान्तकरण स्वीकार किया गया है,परन्तु पक्षकारान के मध्य जो वाद माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के यहां विचाराधीन था उसका निर्णय दिनांक 05.02.2023 को हुआ है। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक के समय पक्षकारान के मध्य वाद विचाराधीन न्यायालय थां। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत निवाई ने अपनी सर्व प्रथम जांच मे नामान्तकरण को 135(2) मे दर्ज कर सुनवाई करने योग्य माना है। अपीलांट संख्या–4 ने भी निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार निवाई के समक्ष सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी तहसीलदार निवाई द्वारा अपीलांट संख्या–4 (पक्षकारान की) की सुनवाई नही की गई है।जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 25.05.2011 वाके ग्राम श्योसिंहपुरा तहसील निवाई निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार निवाई को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकारों की विधिवत सुनवाई कर,दस्तावेजात तथा मौके एंव मृतक के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर (राजस्थान)

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोक
जिला कलेक्टर
टोंक